294

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–7160 दिनांक–08.07.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–15.07.2014 में मद संख्या–09 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

9.	श्री कृष्णकांत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध टेडागाछ, पिलहनियाँ पंचायत उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य के भुगतान हेतु 20,000/– (बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–022/2012 दिनांक–15.02.12 दर्ज किया गया। इसके आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए **'सेवा से बर्खास्तगी'** के दंड की स्वीकृति के संबंध में।	9	स्वीकृत।

15/7/14

(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
15/7/14

16/7

17.7.14

17.7.14

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अ0से0-भवन/11-निग(किशनगंज)-01/2012.....1861(भ)..... पटना, दिनांक:- 30/7/14

अधिसूचना

श्री कृष्णकांत कुमार, कार्यपालक अभियंता, को भवन प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में टेड़ागाछ पिलहनिया पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य से संबंधित भुगतान हेतु ₹ 20,000/- रिश्वत लेते रंगे हाथो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-022/2012 दिनांक-15.02.2012 दर्ज किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-2804 दिनांक-09.04.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के अधीन निलंबित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरांत योगदान समर्पित किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-8008 दिनांक-04.10.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(3)(i) के उपबंधानुसार योगदान को तिथि-09.07.2012 से योगदान स्वीकृत किया गया। पुनः श्री कुमार के विरूद्ध आपराधिक मामला की जाँच/विचारण प्रक्रियाधीन होने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-8074 दिनांक-05.10.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9(3)(ii) के उपबंधानुसार विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8625(भ) दिनांक-30.10.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में अंतर्निहित प्रावधानों के अंतर्गत संचालित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-022/2012, विधि विभाग के आदेश सं0-3008/जे0 दिनांक-11.04.2012 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1752 दिनांक-03.06.2013 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेने संबंधी आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होना किन्तु उनके कमरे से राशि की जब्ती एवं ग्लास में रखे घोल का रंग परिवर्तन होने के आधार पर उन्हें संदेह के घेरे में लाने का निष्कर्ष दिया गया। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रतिवेदित गंभीर आरोप पर संचालन पदाधिकारी द्वारा निगरानी विभाग की कार्रवाई जनित आरोपों की जाँच सूक्ष्मता से नहीं करने तथा स्पष्ट अनुशंसा नहीं करने की स्थिति में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10015(भ) दिनांक-22.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही को पुनः विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

5. तत्पश्चात् संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक-52 दिनांक-04.03.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गय आरोप के लिए उन्हें निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया दोषी माना गया, का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोप के संदर्भ में जाँच, प्रतिवेदन की छाया-प्रति सहित विभागीय पत्रांक-3651(भ) दिनांक-28.03.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित अवधि में श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहा। पूरे मामले की समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार से निर्धारित अवधि में द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहना स्पष्ट करता है कि प्रमाणित आरोप के संदर्भ में इन्हें कुछ नहीं कहना है।

6. सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित आरोप (रिश्वत लेते) गंभीर प्रवृति के होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कृष्णकांत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज संप्रति निलंबित के विरूद्ध सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

3/6

7. इस चीज की शिकार से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 25.04.2014 प्राप्त हुआ जिसे निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

8. सरकार के उक्त निर्णय पर विभागीय पत्रांक 5423(11) दिनांक 26.05.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक 765 दिनांक-30.06.2014 द्वारा श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी प्रस्तावित दंड पर सहमति व्यक्त की गयी।

9. तदोपरांत श्री कृष्णकांत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज के संप्रति निम्नांकित कार्यपालक अभियंता को प्रमाणित गंभीर आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14 (xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतएव श्री कृष्णकांत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज संप्रति निम्नांकित कार्यपालक अभियंता को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दंड समुचित किया जाता है।

(i) तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.7.14

(अशोक कुमार सुमन)
संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 30/7/14

ज्ञापांक:- 7862 (य)

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.7.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 30/7/14

ज्ञापांक:- 7862 (र)

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 30/7/14

ज्ञापांक:- 7862 (ल)

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निगरानी पदाधिकारी/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित प्रशाखा/लेखा प्रशाखा/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.7.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक 7862 (7)

पटना, दिनांक: 30/7/14

प्रतिलिपि: महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 240 दिनांक 16.02.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.7.14

संयुक्त सचिव सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 7862 (7)

पटना, दिनांक: 30/7/14

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 766 दिनांक 30.06.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.7.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 7862 (7)

पटना, दिनांक:-30/7/14

प्रतिलिपि:-श्री कृष्णकांत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज को संप्रति निबंधित कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता दक्षिण का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-766 दिनांक-30.06.2014 की छाया-प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

23.7.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 7862 (7)

पटना, दिनांक:- 30/7/14

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.7.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।